मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIX अंक 11 फरवरी 2024

I. मौद्रिक नीति

8 फरवरी 2024 को गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने 8 फरवरी 2024 को वर्ष 2024 का पहला मौद्रिक नीति वक्तव्य देते हुए इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में चिह्नित किया, जिसमें बैंक ने अप्रैल को अपनी मौजूदगी और परिचालन के 90वें वर्ष में प्रवेश किया। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए, गवर्नर ने कहा कि वैश्विक परिदृश्य एक मिश्रित संभावना प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब पहुंचने और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आशा से अधिक संवृद्धि के कारण सॉफ्ट लैंडिंग की बेहतर संभावना है, साथ ही चल रहे संघर्षों के कारण अनिश्चितता उत्पन्न हो रही है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने संवृद्धि में तेजी और मुद्रास्फीति में गिरावट के साथ उल्लेखनीय निष्पादन किया है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

एमपीसी ने संवृद्धि का समर्थन करते हुए लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति को संरेखित करने के लिए निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर बनी रहेगी।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

i) वैश्विक संवृद्धि

विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नता के साथ 2024 में वैश्विक संवृद्धि स्थिर रहने की आशा की गई।

ii) घरेलू संवृद्धि

घरेलू आर्थिक गतिविधि मजबूत बनी हुई है। पहले अग्रिम अनुमान (एफएई) ने 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की संवृद्धि 7.3 प्रतिशत रखी, जो लगातार तीसरे वर्ष 7 प्रतिशत से अधिक संवृद्धि दर्शाती है।

iii) मुद्रास्फीति

हेडलाइन मुद्रास्फीति 2022-23 के दौरान 6.7 प्रतिशत से घटकर अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान औसतन 5.5 प्रतिशत हो गई। तथापि, खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र में काफी अस्थिरता प्रदान करती रही।

मौद्रिक नीति के लिए इन मुद्रास्फीति और संवृद्धि स्थितियों का क्या अर्थ है?

गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति 2022 से कम हो गई है, मौद्रिक नीति में 250 बीपीएस रेपो दर में वृद्धि और प्रोत्साहन को वापस लेने के माध्यम से संवृद्धि पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। सरकार द्वारा प्रदत्त आपूर्ति-पक्ष उपायों ने इस प्रयास का समर्थन किया। तथापि, लगातार उच्च और अस्थिर हेडलाइन मुद्रास्फीति, 4.3 प्रतिशत से लेकर 7.4 प्रतिशत तक, चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही है, जो आवर्ती खाद्य मूल्य आघातों और भू-राजनीतिक तनावों के कारण और बढ़ जाती हैं। 4.0 प्रतिशत सीपीआई मुद्रास्फीति का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है।

चलनिधि और वित्तीय बाज़ार की स्थितियाँ

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति के बारे में बताते हुए, गवर्नर ने कहा कि प्रणाली- स्तर की चलनिधि साढ़े चार वर्ष के अंतराल के बाद सितंबर में अधिशेष से कमी में बदल गई। रिज़र्व बैंक ने दिसंबर-जनवरी में सक्रिय रूप से चलनिधि डाली, लेकिन सरकारी व्यय ने चलनिधि अधिशेष को उलट दिया। अतिरिक्त चलनिधि अवशोषित करने के लिए फरवरी 2024 में छह प्रतिवर्ती रेपो नीलामी आयोजित की गईं। वित्तीय बाज़ार चलनिधि परिवर्तन के अनुसार समायोजित हो गए, अल्पकालिक दरों में उतार-चढ़ाव हुआ जबकि दीर्घकालिक दरें स्थिर रहीं।

वित्तीय स्थिरता

गवर्नर ने उल्लेख किया कि घरेलू वित्तीय प्रणाली मजबूत तुलन-पत्र वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा समर्थित आघात सहनीय बनी हुई है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), बैंकों के अनुरूप वित्तीय मानदंडों में सुधार प्रदर्शित कर रही हैं।

बाहरी क्षेत्र

गवर्नर ने कहा कि भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) 2022-23 की दूसरी तिमाही में जीडीपी के 3.8 प्रतिशत से तेजी से गिरकर 2023-24 की दूसरी तिमाही में जीडीपी का 1.0 प्रतिशत हो गया। सेवाओं और विप्रेषण से व्यापार घाटे की भरपाई करते हुए अधिशेष बने रखने की आशा है। 2024 में आवक विप्रेषण 135 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जिससे भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 13.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) 32.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सकारात्मक हो गया।

इसके अलावा, गवर्नर ने अपने वक्तव्य के दौरान कतिपय अतिरिक्त उपायों की घोषणा की। अपने भाषण का समापन करते हुए, गवर्नर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था धारणीय संवृद्धि की दिशा में आत्मविश्वासपूर्ण प्रगति कर रही है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों को आकर्षित कर रही है। स्थिर संवृद्धि और घटती मुद्रास्फीति के साथ मौद्रिक नीति की दिशा उपयुक्त है। अनिश्चितताओं के दौरान नीति निर्धारण में सतर्कता महत्वपूर्ण रहती है, जिसके लिए आने वाले डेटा के निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। समावेशी संवृद्धि के लिए मूल्य और वित्तीय स्थिरता पर जोर देते हुए मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत तक कम करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गवर्नर ने महात्मा गांधी के कथन को याद करते हुए कहा कि, 'मैं सावधानी से आगे बढ़ रहा हूं, हर कदम पर खुद को देख रहा हूं। ….. परंतु मेरे प्रत्येक कार्य के पीछे निश्चित संकल्प है …' पूरा वक्तव्य पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-3
II. विनियमन	3
III. भुगतान और निपटान प्रणाली	3-4
IV. फिनटेक	4
V. ऋण प्रबंधन	4
VI. मुद्रा निर्गमकर्ता	4
VII. प्रकाशन	4
VIII. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा फरवरी 2024 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

एमपीसी का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर, एमपीसी ने 8 फरवरी 2024 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखा जाए।

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर यथावत् बनी रहेगी।

एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति उतरोत्तर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो। ये निर्णय, संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त करने के अनुरूप हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियां

यह वक्तव्य i) वित्तीय बाज़ार, ii) विनियमन और iii) भुगतान प्रणाली और फिनटेक से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपाय निर्धारित करता है।

i) वित्तीय बाज़ार

1. ईटीपी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

अक्तूबर 2018 में, रिज़र्व बैंक ने इसके द्वारा विनियमित वित्तीय लिखतों में लेनदेन निष्पादित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार किया था। इस ढांचे, जिसका उद्देश्य पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल व्यापार प्रक्रियाओं, सुदृढ़ व्यापार अवसंरचना के माध्यम से उचित पहुंच सुनिश्चित करना और बाजार के दुरुपयोग को रोकना है, के अंतर्गत तब से पांच ऑपरेटरों द्वारा संचालित तेरह ईटीपी को अधिकृत किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में, ऑफशोर बाजारों के साथ ऑनशोर विदेशी मुद्रा बाजार का एकीकरण बढ़ा है, प्रौद्योगिकी परिदृश्य में उल्लेखनीय विकास हुआ है तथा उत्पाद विविधता में वृद्धि हुई है। बाजार निर्माताओं ने अनुमत भारतीय रुपया (आईएनआर) उत्पाद प्रदान करने वाले ऑफशोर ईटीपी को एक्सेस करने का भी अनुरोध किया है। इन गतिविधियों के मद्देनजर, ईटीपी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित विनियामक ढांचा, सार्वजनिक फीडबैक के लिए अलग से जारी किया जाएगा।

2. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में ओटीसी बाज़ार में स्वर्ण कीमत संबंधी जोखिम की हेजिंग

घरेलू संस्थाओं को स्वर्ण कीमत संबंधी जोखिम के प्रति अपने जोखिम को कुशलतापूर्वक हेज करने के लिए लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, दिसंबर 2022 में, घरेलू संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों के एक्सेस की अनुमति दी गई थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें आईएफएससी में ओवर दि काउंटर (ओटीसी) सेगमेंट में स्वर्ण कीमत को हेज करने की भी अनुमति दी जाए। इससे घरेलू संस्थाओं को स्वर्ण के कीमतों के प्रति अपने जोखिम को कम करने के लिए अधिक लचीलापन और डेरिवेटिव उत्पादों तक आसान पहुंच मिलेगी।

ii) विनियमन

3. खुदरा और एमएसएमई ऋण एवं अग्रिम के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)

रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण और ग्राहकों पर लगाए जाने वाले अन्य प्रभारों में विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा अधिक पारदर्शिता और प्रकटीकरण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कई उपायों की घोषणा की है। ऐसा ही एक उपाय यह है कि ऋणदाताओं को अपने उधारकर्ताओं को एक मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) प्रदान करना होता है जिसमें ऋण करार संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी होती है और इसमें ऋण की सभी लागत भी शामिल होती है, जो सरल और समझने में आसान प्रारूप में होती है। वर्तमान में केएफएस को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण; आरई द्वारा डिजिटल ऋण; और व्यष्टि वित्त ऋण के संबंध में विशेष रूप से अनिवार्य किया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी आरई को सभी खुदरा और एमएसएमई ऋणों के लिए उधारकर्ताओं को 'मुख्य तथ्य विवरण' (केएफएस) प्रदान करने का अधिदेश दिया जाए। सर्व-समावेशी ब्याज लागत सहित ऋण करार की शर्तों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने से उधारकर्ताओं को एक सूचित निर्णय लेने में बहुत लाभ होगा।

iii) भुगतान प्रणाली और फिनटेक

4. एईपीएस की मजबूती बढ़ाना

एनपीसीआई द्वारा परिचालित आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) ग्राहकों को सहायता प्राप्त माध्यम से डिजिटल भुगतान लेनदेन करने में सक्षम बनाती है। 2023 में, 37 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं ने एईपीएस लेनदेन किया, जो वित्तीय समावेशन में एईपीएस द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इशारा करता है। एईपीएस लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, प्रस्ताव है कि ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए जिसमें एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों के लिए बैंकों द्वारा पालन की जाने वाली अनिवार्य उचित जांच शामिल हो। अतिरिक्त धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन आवश्यकताओं पर भी विचार किया जाएगा। इस संबंध में शीघ्र ही अनुदेश जारी किये जायेंगे।

5. डिजिटल भुगतान लेनदेन के प्रमाणीकरण के लिए सिद्धांत-आधारित रूपरेखा

पिछले कुछ वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भुगतान की सुरक्षा, विशेष रूप से प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) की आवश्यकता, को प्राथमिकता दी है। हालाँकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोई विशेष एएफए निर्धारित नहीं किया है, लेकिन भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र ने बड़े स्तर पर एसएमएस-आधारित वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को अपनाया है। प्रौद्योगिकी में नवाचारों के साथ, हाल के वर्षों में वैकल्पिक प्रमाणीकरण तंत्र उभरे हैं। डिजिटल सुरक्षा के लिए ऐसे तंत्रों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक सिद्धांत-आधारित 'डिजिटल भुगतान लेनदेन के प्रमाणीकरण के लिए रूपरेखा' अपनाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में अनुदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

6. केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पायलट में प्रोग्रामयोग्यता और ऑफ़लाइन कार्यक्षमता की शुरुआत

सीबीडीसी रिटेल (सीबीडीसी-आर) पायलट वर्तमान में पायलट बैंकों द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल रुपया वॉलेट का उपयोग करके व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) लेनदेन को सक्षम बनाता है। अब प्रोग्रामयोग्यता और ऑफ़लाइन कार्यक्षमता का उपयोग करके अतिरिक्त उपयोग के मामलों को सक्षम करने का प्रस्ताव है। प्रोग्रामयोग्यता, उदाहरण के लिए, सरकारी एजेंसियों जैसे उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने की अनुमति प्रदान करेगी कि भुगतान निर्धारित लाभों के लिए किए गए हैं। इसी प्रकार, कॉरपोरेट अपने कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक यात्रा जैसे निर्दिष्ट व्यय निर्धारित करने में सक्षम होंगे। वैधता अवधि या भौगोलिक क्षेत्र, जिसके भीतर सीबीडीसी का उपयोग किया जा सकता है, जैसे अतिरिक्त सुविधाओं को भी निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा, खराब या सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में लेनदेन को सक्षम करने के लिए सीबीडीसी-आर में एक ऑफ़लाइन कार्यक्षमता शुरू करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, ग्रामीण और शहरी स्थानों में एकाधिक ऑफ़लाइन समाधान (निकटता और गैर-निकटता आधारित) का परीक्षण किया जाएगा। इन कार्यात्मकताओं को पायलटों के माध्यम से क्रमिक तरीके से आरंभ किया जाएगा।

एमपीसी के कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति की 47वीं बैठक 6 से 8 फरवरी 2024 के दौरान आयोजित की गई थी।

तद्नुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने 22 फरवरी 2024 को, अर्थात एमपीसी की बैठक के 14वें दिन बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त प्रकाशित किया।

एमपीसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपभोक्ता विश्वास, परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र का निष्पादन, ऋण की स्थिति, औद्योगिक, सेवाओं और आधारभूत संरचना क्षेत्रों की संभावनाएं और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। एमपीसी ने संभावना के विभिन्न जोखिमों से संबंधित स्टाफ के समष्टि आर्थिक अनुमानों और वैकल्पिक परिदृश्यों की भी विस्तृत रूप से समीक्षा की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

केवाईसी अद्यतन

रिज़र्व बैंक ने 2 फरवरी 2024 को जनता से आग्रह किया कि वे नुकसान को रोकने और दुर्भावनापूर्ण पद्धतियों से स्वयं को बचाने के लिए सावधानी और उचित संरक्षण बरतें। बैंक ने सुझाव दिया कि वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामले में, जनता को तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) या साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930) के माध्यम से शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके अलावा, स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए, बैंक ने जनता के लिए क्या करें और क्या न करें संबंधी उपाय जारी किए। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करे।

एनईडी का नियत पारिश्रमिक

रिज़र्व बैंक ने 9 फरवरी 2024 को गैर-कार्यपालक निदेशकों (NEDs) के पारिश्रमिक को ₹20 लाख प्रति वर्ष की सीमा से संशोधित करके ₹30 लाख प्रति वर्ष कर दिया। ये अनुदेश लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) सहित गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के साथ-साथ विदेशी बैंकों के पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों पर भी लागू होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करे।

आईआईबीएक्स पर भारतीय बैंकों की सहभागिता

रिज़र्व बैंक ने 9 फरवरी 2024 को:

i) जीआईएफ़टी-आईएफ़एससी में भारतीय बैंक की शाखा/ सहायक/ संयुक्त उद्यम को इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफ़एससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) के ट्रेडिंग सदस्य (टीएम)/ ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य (टीसीएम) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी और

ii) भारतीय बैंकों को आईआईबीएक्स के विशेष श्रेणी ग्राहक (एससीसी) के रूप में कार्य करने हेतु स्वर्ण /चांदी आयात करने के लिए अधिकृत किया गया। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

गवर्नर की बैठकें

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने 14 फरवरी 2024 को मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठकें कीं। गवर्नर ने अपने भाषण में बैंकों और समग्र बैंकिंग क्षेत्र के बेहतर वित्तीय कार्य-निष्पादन के लिए उनकी सराहना की। बैंकों की स्वस्थ तुलन-पत्र के साथ घरेलू वित्तीय प्रणाली की आघात-सहनीयता पर ध्यान देते हुए, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है और बैंकों को जोखिमों की उत्पत्ति, यदि कोई हो, पर अपनी निगरानी बनाए रखनी चाहिए।

इन बैठकों में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. ने भी भाग लिया। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

पेमेंट बैंक के विरुद्ध कार्रवाई

रिज़र्व बैंक ने 16 फरवरी 2024 और 23 फरवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहकों, वॉलेट धारकों और व्यापारियों के हित मे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत क्रमशः निदेश जारी किए और अतिरिक्त कदम उठाएँ। बैंक ने 16 फरवरी 2024 को पीपीबीएल के ग्राहकों और बड़े स्तर पर जनता की सुविधा के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की एक सूची जारी की।

एआरसी में नियुक्ति/ पुन: नियुक्ति

रिज़र्व बैंक ने 27 फरवरी 2024 को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) में निदेशक, प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति या पुन: नियुक्ति के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए। एआरसी को सूचित किया गया कि वे रिक्ति उत्पन्न होने/ नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की प्रस्तावित तारीख से कम से कम नब्बे दिन पहले विधिवत हस्ताक्षरित अनुबंध-I और अनुबंध-II में उल्लिखित दस्तावेजों/ सूचना के साथ सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन विनियमन विभाग को प्रस्तुत करें। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

मॉरीशस और श्रीलंका के साथ यूपीआई सहबद्धता

भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी, मॉरीशस के प्रधानमंत्री, श्री प्रविंद कुमार जुगनौथ, और श्रीलंका के माननीय राष्ट्रपति, श्री रानिल विक्रमसिंघे, 12 फरवरी 2024 को भारत और मॉरीशस के बीच रुपे (RuPay) कार्ड और यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) संबद्धता के साथ-साथ भारत और श्रीलंका के बीच यूपीआई संबद्धता की आभासी शुरुआत के साक्षी बने। इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास, बैंक ऑफ मॉरीशस के गवर्नर श्री हरवेश सीगोलम, और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर डॉ. पी. नंदलाल वीरसिंघे भी उपस्थित रहे।

इन परियोजनाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन और समर्थन के अंतर्गत मॉरीशस और श्रीलंका के सहभागी बैंकों/ गैर-बैंकों के साथ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) द्वारा विकसित और निष्पादित किया गया है। परियोजनाओं के दौरान बैंक ऑफ मॉरीशस और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपरोक्त सुविधाएं भारत, मॉरीशस और श्रीलंका में चुनिंदा बैंकों/ गैर-बैंकों/ तृतीय पक्ष एप्लिकेशन प्रदाताओं के माध्यम से शुरू की गई हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

आरबीआई और एनआरबी के बीच हस्ताक्षरित विचारार्थ विषय

भारतीय रिज़र्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक ने 15 फरवरी 2024 को भारत और नेपाल की तेज भुगतान प्रणालियों, अर्थात क्रमशः भारत के यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस (एनपीआई) के एकीकरण के लिए विचारार्थ विषय पर हस्ताक्षर किए और इसका आदान-प्रदान किया। इस एकीकरण का उद्देश्य दोनों प्रणालियों के उपयोगकर्ताओं को तत्काल, कम लागत वाले निधि अंतरण में सक्षम बनाकर भारत और नेपाल के बीच सीमापारीय विप्रेषण की सुविधा प्रदान करना है।

यूपीआई-एनपीआई संबद्धता के माध्यम से अपनी तेज भुगतान प्रणालियों को जोड़ने में भारत और नेपाल के बीच सहयोग, वित्तीय संयोजकता को और गहन करेगा और दोनों देशों के बीच स्थायी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

अनधिकृत भुगतान प्रणाली पर रोक

रिज़र्व बैंक ने 15 फरवरी 2024 को अधिसूचित किया कि एक कार्ड नेटवर्क में एक ऐसी व्यवस्था थी जो व्यवसायों को कुछ मध्यस्थों के माध्यम से उन संस्थाओं को कार्ड से भुगतान करने में सक्षम बनाती है जो कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं करते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत, मध्यस्थ, कॉरपोरेट्स से उनके वाणिज्यिक भुगतान के लिए कार्ड से भुगतान स्वीकार करता है और फिर कार्ड स्वीकार न करने वाले प्राप्तकर्ताओं को आईएमपीएस/ आरटीजीएस/ एनईएफ़टी के माध्यम से धनराशि विप्रेषित करता है।

केंद्रीय बोर्ड की 606 वीं बैठक

रिज़र्व बैंक ने 12 फरवरी 2024 को श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में केंद्रीय निदेशक मंडल की 606वीं बैठक आयोजित की।

श्रीमती निर्मला सीतारमण, केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों को संबोधित किया। उन्होंने अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में उल्लिखित प्रमुख क्षेत्रों और वित्तीय क्षेत्र से अपेक्षाओं पर प्रकाश डाला। निदेशकों ने बजट पर वित्त मंत्री की सराहना की और अपने विचार साझा किए।

इस व्यवस्था ने निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न की हैं:

i) उपरोक्त व्यवस्था में मध्यस्थ ने बड़ी मात्रा में धनराशि एक ऐसे खाते में जमा की जो पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट खाता नहीं है।

ii) इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रसंस्कृत लेन-देन, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी केवाईसी पर मास्टर निदेश के अंतर्गत निर्धारित प्रवर्तक और लाभार्थी की जानकारी संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करते हैं।

विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

पीपीआई पर एमडी में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने 23 फरवरी 2024 को संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10 (2) के साथ पठित धारा 18 के अंतर्गत अधिकृत बैंक और गैर-बैंक प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ताओं को विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में भुगतान करने के लिए पीपीआई जारी करने की अनुमति दी। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

IV. फिनटेक

विनियामक सैंडबॉक्स

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 फरवरी 2024 को अपनी वेबसाइट पर अद्यतन 'विनियामक सैंडबॉक्स हेतु सक्षम रूपरेखा' जारी किया। पिछले साढ़े चार वर्षों में चलाए गए चार कोहार्ट से प्राप्त अनुभव और फिनटेक, बैंकिंग भागीदारों एवं अन्य हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर रूपरेखा को संशोधित किया गया है। विनियामक सैंडबॉक्स प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की समय-सीमा को 7 महीने से संशोधित कर 9 महीने कर दिया गया है। अद्यतन रूपरेखा के अंतर्गत सैंडबॉक्स संस्थाओं से यह भी अपेक्षित है कि वे डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 और वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन

भारतीय रिज़र्व बैंक 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक "करो सही शुरुआत – बनो फ़ाइनेंशियली स्मार्ट" विषय पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडब्ल्यू) 2024 मनाया। यह विषय, युवा वयस्कों, मुख्यतः विद्यार्थियों पर लक्षित है। इसका उद्देश्य बचत, बजट, कंपाउंडिंग की शक्ति, बैंकिंग अनिवार्यताओं और साइबर हाइजीन पर इनपुट के साथ कम उम्र से ही वित्तीय अनुशासन विकसित करने के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

अभियान के भाग के रूप में, बैंक ने वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन की घोषणा की , जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच वित्तीय साक्षरता का प्रचार करने के लिए रचनात्मक कार्यनीतियों पर स्नातकोत्तर छात्रों से नवीन विचारों को आमंत्रित करना है।

V. मुद्रा जारीकर्ता

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेना

रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2024 को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के वापस लेने की स्थिति जारी की। आंकड़ों के अनुसार, प्रचलन में ₹2000 बैंकनोटों का कुल मूल्य 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक घटकर ₹8470 करोड़ हो गया था। इस प्रकार, 19 मई 2023 तक प्रचलन में ₹2000 बैंकनोटों का 97.62 प्रतिशत वापस आ चुका है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VI. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 20 फरवरी 2024 को अपने मासिक बुलेटिन का फरवरी 2024 अंक जारी किया। बुलेटिन में 8 फरवरी 2024 का मौद्रिक नीति वक्तव्य, पांच भाषण, चार आलेख और वर्तमान आंकड़े शामिल हैं। चार लेख हैं:

i) अर्थव्यवस्था की स्थिति;

ii) संवृद्धि संगत राजकोषीय समेकन का आकार
माइकल देवब्रत पात्र, समीर रंजन बेहरा, हरेंद्र कुमार बेहरा, शेषाद्री बनर्जी, इप्सिता पाढी और सक्षम सूद द्वारा;

iii) हेडलाइन और मूल मुद्रास्फीति की गतिकी: क्या हाल के आघातों ने मूल मुद्रास्फीति की प्रकृति को बदल दिया है?
आशीष थॉमस जॉर्ज, शैलजा भाटिया, जॉइस जॉन और प्रज्ञा दास द्वारा और

iv) भारतीय सेवाओं और आधारभूत संरचना उद्यमों के उभरते कारोबारी मनोभाव- एक गहन विश्लेषण
अभिलाष अरुण सतापे, निवेदिता बनर्जी और सुप्रिया मजूमदार द्वारा ।

विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VII. जारी आंकड़े

फरवरी 2024 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	शीर्षक
1	दिसंबर 2023 माह के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
2	दिसंबर 2023 के लिए ईसीबी / एफसीसीबी / आरडीबी संबंधी आंकड़े
3	वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही (जुलाई – सितंबर) के लिए भारत की अदृश्य मदों पर आंकड़े
4	जनवरी 2024 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
5	2023-24 की तीसरी तिमाही के लिए अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई)
6	वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट कारोबार क्षेत्र का कार्य-निष्पादन
7	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – फरवरी 2024

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।